-144-

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 37] नई दिल्ली, सितम्बर 8— सितम्बर 14, 2019, शनिवार/भाद्र 17—भाद्र 23, 1941

No. 37] NEW DELHI, SEPTEMBER 8— SEPTEMBER 14, 2019, SATURDAY/BHADRA 17— BHADRA 23, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 20 जून, 2019

सा.का.नि.281.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद (प्रयोगशाला तकनीशियन) भर्ती नियम 2019 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2019

सा.का.नि.282.—विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 276, दिनांक 11 जुलाई, 2019 के राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (जयेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2019 के अनुपालन में भारत के राजपत्र, साधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित शुद्धियाँ करता है:-

अनुच्छेद 1 की पंक्ति 3 के इन शब्दों "जिन्हें अधिक्रमण" को "जिन्हें ऐसे अधिक्रमण" पढ़ा जाए

अनुच्छेद 3 की पंक्ति 1 के इन शब्दों "आयु-सीमा और अर्हताएं" को 'आयु-सीमा, अर्हताएं' पढ़ा जाए

अनुच्छेद 5 की पंक्ति 2 के शब्द 'वहाँ' को 'वह' पढ़ा जाए

अनुसूची के स्तंभ 3 की प्रविष्टि को 'साधारण केन्द्रीय समूह 'क' राजपत्रित, अननसचिवीय के स्थान पर 'साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय" पढ़ा जाए

[फा. सं. एसएम/01/18/2017]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th September, 2019

G.S.R. 282.—In Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Notification bearing GSR No. 276 dated 11th July, 2019 published in the Gazette of India, weekly publication dated August 25-31, 2019, the following correction shall be carried out in the English version of the Schedule annexed to the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Senior Administrative Officer) Recruitment Rules, 2019:-

(1) In the existing entry appearing against Col. 12 of the Schedule annexed to the aforementioned recruitment rules (English version) the words 'Group 'A' Promotion Committee consisting of :' may be read as 'Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of:'.

[F. No. SM/01/18/2017]

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2019

सा.का.नि.283.—विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एतदद्वारा भारत के राजपत्र में सा. का. नि. 275, दिनांक 10 मई 2019 के राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (संयुक्त निदेशक) भर्ती नियम, 2019 के अनुपालन में भारत के राजपत्र, साधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित शुद्धियाँ करता है :-

अनुच्छेद 2 की पंक्ति 2 में 'वह होगा' के स्थान पर 'वह होंगे' पढ़ा जाए

अनुच्छेद 3 की पंक्ति 1 में 'और अर्हताएं' के स्थान पर 'और अन्य अर्हताएं' पढ़ा जाए

अनुच्छेद 6 की पंक्ति 3 में 'और अन्य' के स्थान पर 'अन्य' पढ़ा जाए

अनुसूची के स्तंभ (3) में 'साधारण केन्द्रीय समूह 'क' राजपत्रित, अनुनसचिवीय' के स्थान पर 'साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय' पढ़ा जाए

अनुसूची के स्तंभ 4 में 'वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रू.)' के स्थान पर 'स्तर-12 (78800-209200 रू.)' पढ़ा जाए

अनुसूची के स्तंभ 11में टिप्पण की पांचवीं पंक्ति में 'ऐ' के स्थान पर 'ऐसे' पढ़ा जाए

[फा. सं. एस एम/01/10/2017]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2019

सा.का.नि.284.—विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, एतदद्वारा भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 274 दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (निदेशक) भर्ती नियम, 2019 के अनुपालन में भारत के राजपत्र, साधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (I) में प्रकाशित विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय,विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित शुद्धि करता है:-

पैरा संख्या 5- शिथिल करने की शक्ति के दूसरे उप पैरा के रूप में मुद्रित उप पैरा को पैरा संख्या 4 निरर्हता के (ख) उपखण्ड के नीचे अन्तिम उप पैरा के रूप में प्रतिस्थापित करे तथा इस उप पैरा की पंक्ति 2 में शब्द 'यह' को 'वह' पढ़ा जाए।

अनुच्छेद 1 की पंक्ति 1 में शब्द 'अनुक्षछेद' और पदत्त को 'अनुच्छेद' और प्रदत्त पढ़ा जाए।

अनुच्छेद 3 की पंक्ति 2 में शब्द 'वातें' को 'बातें' पढा जाए।

अनुच्छेद 4 (क) उपखण्ड की पंक्ति 1 में शब्द 'पत्नि' को 'पत्नी' पढ़ा जाए, उपखण्ड (ख) की पंक्ति 1 में शब्द 'जीवत' को 'जीवित' पढ़ा जाए तथा उपखण्ड (ख) के नीचे मुद्रित शब्द 'नियुक्ि' को 'नियुक्ति' पढ़ा जाए।

अनुसूची के स्तंभ 3 में शब्द 'साधारण केन्द्रीय समूह' को 'साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह' पढ़ा जाए।

अनुसूची के स्तंभ 11 के अंतर्गत उपखण्ड (ख) के शब्द 'अनुभव हो' को 'अनुभव रखते हो' पढ़ा जाए।

अनुसूची के स्तंभ 12 के बिन्दु 2 की पंक्ति 1 के शब्द 'वैज्ञनिक' को 'वैज्ञानिक' पढ़ा जाए।

[फा.सं. एस एम/1/20/2017]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.09.16 15:53:59 +05'30'